Azadi Ka Amrit Mahotsav

जलांश

खंड 4 अंक 12 जुलाई 2022

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

डॉ.आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट 02.06.2022 को जारी की गई। यह योजना भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार की गई है यह योजना बाघों, गिद्धों और घड़ियाल जैसी प्रमुख प्रजातियों के आवास के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन का प्रावधान करती है। यह जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण, विशेष रूप से वन-निर्भर समुदायों के लिए परिदृश्य के समग्र एकीकरण में मदद करेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना से एमपी और यूपी के राज्यों में फैले पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल मंत्री ने 16.06.2022 को भारत में बांध सुरक्षा नियमन के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना और भारत में बांध सुरक्षा शासन पर मंथन करना था। कार्यशाला में माननीय मंत्रियों/नीति निर्माताओं और जल शक्ति मंत्रालय, के वरिष्ठ पदाधिकारियों, टेक्नोक्रेट, केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, शिक्षाविदों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि ने भाग लिया।

वृहत और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए निवेश निकासी समिति की 17वीं बैठक 10.06.2022 को सचिव, जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई । इस समिति द्वारा कुल चार परियोजनाओं की सिफारिश की गई ।

विशिष्ट कारणों से भारत के वर्गीकृत बेसिनों के लिए डेटा जारी करने का निर्णय लेने के लिए 28.06.2022 को 53वीं वर्गीकृत डेटा रिलीज़ समिति की बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में कुल 5 मामलों पर विचार किया गया और सभी मामलों को गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया।

इस महीने में के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) के तहत तीन अतिरिक्त जलाशयों को शामिल किया गया। निगरानी के तहत जलाशयों की बढ़ी हुई संख्या देश में अति सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण की स्थिति का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगी। अब, के.ज.आ. द्वारा निगरानी किए जा रहे 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो अनुमानत: देश में ही निर्मित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

विषयसूची

- निवेश निकासी समिति की 17वीं बैठक
- आईसीआईडी/ आईएनसीआईडी के 73 वें स्थापना दिवस पर कार्यशाला
- वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति की 53वीं बैठक
- भारत में बांध सुरक्षा शासन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- निगरानी समिति का शाहपुरकंडी बांध परियोजना दौरा
- कालसा बंदूरी नाला के मुद्दों के संबंध में कर्नाटक के अधिकारी के साथ बैठक
- दक्षिण एशिया में सीजीआईएआर अनुसंधान पोर्टफोलियो परिचय और हितधारक संवाद के लिए परस्पर संवादात्मक पैनल चर्चा
- पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यों की समीक्षा के लिए राजामुंदरी का दौरा
- राजस्थान फीडर नहर की क्षमता बढ़ाने की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए समिति
- सुश्री मियो ओका, निदेशक (एसएईआर), एडीबी के नेतृत्व में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने के.ज.आ. का दौरा किया
- भारत में जापान दूतावास के श्री काजुहिरो कियोस, काउंसलर (आर्थिक), ने के.ज.आ.का दौरा किया
- जल संसाधन परियोजनाओं के पोस्ट प्रोजेक्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)।
- देश में बाढ़ की स्थिति - जून 2022
- 30.06.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- जलाशय निगरानी
- जून-2022 के दौरान एनएचपी की प्रगति/नोट
- डेटा कॉर्नर- भूजल में जहरीले पदार्थ
- जल क्षेत्र-समाचार
- गैलरी/आजादी का अमृत महोत्सव
- इतिहास- गुड़गांव नहर परियोजना

निवेश निकासी समिति की 17वीं बैठक

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की निवेश निकासी समिति की 17वीं बैठक 10.06.2022 को श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ. और जीएफसीसी के अलावा उत्तराखंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निवेश निकासी समिति द्वारा कुल 4 परियोजनाओं पर विचार किया गया और निवेश मंजूरी के लिए सिफारिश की गई। परियोजनाओं का विवरण तालिका में दिया गया है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	राज्य	श्रेणी	लागत (रुपए) करोड़ में और मूल्य स्तर	लाभ	स्थिति	टिप्पणी
1	लोकटक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, चरण- I, मणिपुर के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	मणिपुर	सिंचाई, वृहत	दिसंबर 2020 मूल्य स्तर पर रु.81.59 करोड़	सीसीए-12600 हे.	अनुशंसित	टीएसी की 148वीं बैठक में स्वीकृत
2	पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में घटल मास्टर प्लान चरण-1 का कार्य	पश्चिम बंगाल	बाढ़ नियंत्रण	2017 मूल्य स्तर पर 1,238.95 करोड़ रुपये	65700 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र तथा 8.74 लाख लाभान्वित जनसंख्या	अनुशंसित	टीएसी की 136वीं बैठक में स्वीकृत
3	**बोदवड** परिसर सिंचन योजना (वृहत सिंचाई), महाराष्ट्र का संशोधित लागत अनुमान	महाराष्ट्र	सिंचाई, वृहत	2018-19 मूल्य स्तर पर रु.3,763.60 करोड़	सीसीए - 53025 हेक्टेयर	अनुशंसित	टीएसी की 143वीं बैठक में स्वीकृत
4	जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)।	उत्तराखंड	बहुउद्देशीय/आरसीई	मई 2018 मूल्य स्तर पर 2,584.10 करोड़ रुपये	सीसीए- 150027 हेक्टेयर; बिजली- 14 मेगावाट	अनुशंसित	टीएसी की 141वीं बैठक में स्वीकृत

कलसा-बंडूरी नाला के मुद्दे पर कर्नाटक के अधिकारी के साथ बैठक

कलसा-बंडूरी नाला परियोजना महादयी नदी से कृष्णा नदी तक पेयजल सह अंतर-बेसिन स्थानांतरण योजना है। इस परियोजना से कई जिलों जैसे हुबली धारवाड़, कुंडोगोल शहरों सहित बेलगाम, धारवाड़ और गडग जिलों में मार्ग के गांवों को लाभ होगा। परियोजना में बंडूरी नाला से 2.18 टीएमसी पानी की दिशा परिवर्तित कर मलाप्रभा जलाशय (कृष्णा बेसिन) में प्रवाह को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

परियोजना में दो बांधों का निर्माण शामिल है, नामतः i) कंक्रीट बांध व अनुबद्ध(Appurtenant) का निर्माण और ii) मिट्टी के फ्लैंक और वर्क्स का निर्माण तथा बंडूरी जलाशय से मलाप्रभा नदी की सहायक नदी, हलत्री नाला तक दो परस्पर नहरों का निर्माण। 2018-19 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 791.30 करोड़ रुपये है।

प्रारंभ में, मलाप्रभा जलाशय में प्रवाह को बढ़ाने के लिए लगभग 4.0 टीएमसी पानी की दिशा परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपवर्तन को 2.18 टीएमसी तक सीमित कर दिया है। तदनुसार, कर्नाटक सरकार द्वारा एक संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी।

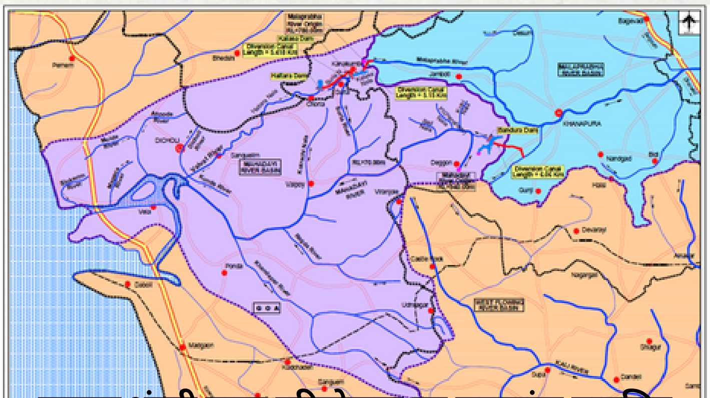

कलसा भंडूरी नाला परियोजना का सूचकांक मानचित्र

इस संबंध में, 23.06.2022 को मुख्य अभियंता, पीएओ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्नाटक सरकार के परियोजना अधिकारियों ने कलसा और -बंडूरीनाला अपवर्तन योजनाओं के संशोधित प्रस्तावों (पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट) पर प्रस्तुतियां दीं। संशोधित योजनाओं में, परियोजना अधिकारियों ने कहा कि बांधों की ऊंचाई के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण में काफी कमी आई है, जिससे दोनों परियोजनाओं के संबंध में अनुमानित लागत में कमी आई है।

वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति (सीडीआरसी) की 53वीं बैठक

बैठक की तिथि	28.06.2022
कुल विचारित मामले	05
वाणिज्यिक मामले	00
गैर वाणिज्यिक	05
समिति द्वारा अनुमोदित मामलों की संख्या	05

संकोश जलाशय जलविद्युत परियोजना

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 06.06.2022 को एक बैठक आयोजित की गई। मुख्य अभियंता, डिजाइन (ईएंडएनई) ने बैठक में भाग लिया जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

ऊपरी सियांग परियोजना

13.06.2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सदस्य (डी एंड आर) और मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई) ने भाग लिया था।

आईसीआईडी/आईएनसीआईडी के 73वें स्थापना दिवस पर कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) दुनिया भर में कृषि के लिए जल के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई, जल निकासी, सूखा और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला अग्रणी वैज्ञानिक, तकनीकी, गैर-लाभकारी संगठन है। 24.06.1950 को नई दिल्ली में मुख्यालय सहित आईसीआईडी की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) - अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग(आईसीआईडी) के लिए भारत की राष्ट्रीय समिति,जोकि आईसीआईडी के साथ निकट और सक्रिय बातचीत के माध्यम से सिंचाई और जल निकासी में सुधार लाने हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय समिति है। इसके साथ ही आईएनसीआईडी में राज्यों के सिंचाई विभाग/ जल संसाधन, वाल्मी, आईएमटीआई, पेशेवर सोसाईटी/ गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आईएनसीआईडी की स्थापना भी 24.06.1950 को हुई थी।

आईएनसीआईडी और आईसीआईडी ने संयुक्त रूप से अपना 73वां स्थापना दिवस 24.06.2022 को के.ज.आ., आर.के.पुरम, नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन के सभागार में मनाया। उत्सव के हिस्से के रूप में, आईएनसीआईडी और आईसीआईडी ने "वैश्विक खाद्य सुरक्षा में आधुनिक सिंचाई की भूमिका" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। स्थापना दिवस समारोह के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, केंद्रीय एजेंसियों/विभागों जिसमें सीजीडब्ल्यूबी, यूवाईआरबी, आईसीएआर, एनएमसीजी, सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे, एनआईएच रुड़की, सीएसएमआरएस, एनडब्ल्यूआईसी आदि सहित आईसीआईडी-सदस्य देश के दूतावास तथा सिंचाई व जल निकासी के क्षेत्र में काम कर रहे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को निमंत्रण दिया गया था।

दिन भर चलने वाला स्थापना दिवस कार्यक्रम 3 सत्रों में मनाया गया। उद्घाटन सत्र में आईसीआईडी के महासचिव, आईसीआईडी के अध्यक्ष और आईएनसीआईडी/ के.ज.आ. के अध्यक्ष सहित गणमान्य व्यक्तियों ने भाषण दिए, जिसमें पृष्ठभूमि के साथ-साथ आईसीआईडी और आईएनसीआईडी द्वारा उनके अस्तित्व के 7 दशकों के दौरान कृषि के लिए जल के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

दूसरे सत्र में कार्यक्रम की पूर्व भूमिका में 25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी (6-13 नवंबर, 2023 के दौरान विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होना प्रस्तावित) का आधिकारिक प्रमोचन किया गया।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस की आयोजन समिति के अध्यक्ष ने दर्शकों को आईएनसीआईडी की पृष्ठभूमि, पहलों और हाल के घटनाक्रमों के बारे में बताया। श्री के वाई रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष (आईसीआईडी) और डीन, अंगरा विश्वविद्यालय, गुंटूर, आं.प्र. ने भारत में आगामी आईसीआईडी कार्यक्रम की तैयारी की स्थिति प्रस्तुत की। सत्र के दौरान कार्यक्रम के प्रतीक चिन्ह और पहली घोषणा के साथ 25वीं कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की गई। माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, के संदेशों (25वीं कांग्रेस पर) को भी प्रदर्शित किया गया।

अंतिम सत्र में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान(आईडब्ल्यूएमआई), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड आदि सहित संगोष्ठी- विषय "वैश्विक खाद्य सुरक्षा में आधुनिक सिंचाई की भूमिका" पर उपयोगी चर्चा हुई।

राजस्थान फीडर नहर की क्षमता बढ़ाने की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए समिति

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने 24.05.2022 को सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और इसमें मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), के.ज.आ., नई दिल्ली और मुख्य अभियंता, आईबीओ, के.ज.आ., चंडीगढ़ सदस्य और निदेशक, बीसीडी (एन एंड डब्ल्यू) सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे।

समिति का गठन हरिके स्थित इंदिरा गांधी फीडर नहर के हेड रेगुलेटर की क्षमता 15000 क्यूसेक से बढ़ाकर 18500 क्यूसेक करने की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए किया गया था।

सिंधु घाटी संगठन, के.ज.आ., चंडीगढ़ के डेटा इनपुट के आधार पर विशेषज्ञ समिति ने 28 जून 2022 को नई दिल्ली में अपनी बैठक की, जिसमें अध्ययन पर विचार-विमर्श किया गया। उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, के.ज.आ. में आगे के अध्ययन किए गए और अंतिम रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 के पत्र द्वारा जारी की गई।

भारत में बांध सुरक्षा नियमन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय जल आयोग ने 16.06.2022 को डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), 15 जनपथ, नई दिल्ली में भारत में बांध सुरक्षा शासन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना और भारत में बांध सुरक्षा नियमन पर मंथन करना था।

कार्यशाला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया था। कार्यशाला में माननीय मंत्रियों/नीति निर्माताओं और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों, टेक्नोक्रेट, केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, शिक्षाविदों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि ने भाग लिया।

भारत में, 5334 मौजूदा बड़े बांध हैं जबकि अन्य 411 बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र 2394 बांधों के साथ सबसे आगे है जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात बांधों की संख्या के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के बांधों में सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है। ये बांध समय के साथ पुराने हो रहे हैं, जिनमें लगभग 80% बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और 227 से अधिक बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बांधों की उम्र बढ़ने और बांध के आस्थगित रखरखाव ने बांध सुरक्षा को चिंता का विषय बना दिया है।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 30.12.2021 से प्रभावी हुआ। अधिनियम का उद्देश्य बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना और उनके सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एक समान बांध सुरक्षा नीतियों, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए केंद्रीय जल आयोग(के.ज.आ.) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) के गठन को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की भी स्थापना की गई है।

एनडीएसए अतिरिक्त प्रभार के आधार पर कार्य कर रहा है जिसमें सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. अध्यक्ष के रूप, मुख्य अभियंता, के.ज.आ. एनडीएसए सदस्यों के रूप में और जेएस एंड एफए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग एनडीएसए के सदस्य (प्रशासन और वित्त) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

अधिनियम व्यापक रूप से महत्वपूर्ण बांध सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ नए मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आदि को संबोधित करता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में बांधों का नियमित निरीक्षण, बांधों का जोखिम अनुसार वर्गीकरण; आपातकालीन कार्य योजना; एक स्वतंत्र पैनल द्वारा व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा; समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए धन; संचालन और रखरखाव मैनुअल; घटनाओं और विफलता का रिकॉर्ड; जोखिम मूल्यांकन अध्ययन; जल-मौसम वैज्ञानिकी और भूकंपीय नेटवर्क सहित बांध उपकरण; एजेंसियों को मान्यता; आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली; और अपराध और जुर्माना आदि शामिल है।

राष्ट्रीय कार्यशाला एक बड़ी सफलता थी क्योंकि विभिन्न राज्यों से जल संसाधन विभागों, ऊर्जा और बिजली विभागों, सीपीएसयू, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत संगठनों, मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्व बैंक, आदि के लगभग 650 अधिकारियों ने भाग लिया।

सुश्री मियो ओका, निदेशक (एसएईआर) के नेतृत्व में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने के.ज.आ. का दौरा किया

सुश्री मियो ओका, निदेशक (एसएईआर), एडीबी के नेतृत्व में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के लिए समर्थन के संबंध में चर्चा करने के लिए 01.06.2022 को मुख्य अभियंता, निष्पादन, पुनरीक्षण एवं प्रबंधन सुधार संगठन(पीओएमआईओ), के.ज.आ. के कार्यालय का दौरा किया। एसआईएमपी देश में वृहत एवं माध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एडीबी के सहयोग से के.ज.आ., जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा की गई एक नई पहल है, जिससे जल उपयोग दक्षता, फसल उत्पादकता और अंततः किसान की आय में वृद्धि हो सके।

भारत में जापानी दूतावास के श्री कज़ुहिरो कियोस, काउंसलर (आर्थिक) ने के.ज.आ. का दौरा किया

भारत में जापानी दूतावास के श्री कज़ुहिरो कियोस, काउंसलर (आर्थिक), ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के अनुसार कार्रवाई के आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए 07.06.2022 को मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. के कार्यालय का दौरा किया। श्री पद्म दोरजे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ) एमओसी के अनुसार गठित भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के लिए भारत की ओर से सदस्य सचिव/नोडल अधिकारी हैं।

निगरानी समिति का शाहपुरकंडी बांध परियोजना दौरा

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परियोजनाओं को केंद्रीय अनुदान के रूप में सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) रंजीत सागर बांध के 11 किलोमीटर नीचे और माधोपुर हेडवर्क्स के 8 किलोमीटर ऊपर रावी नदी पर है।

इसमें 55.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध, नदी के बाएं किनारे पर 7.70 किमी लंबी हाइडल चैनल, पंजाब में शाहपुरकंडी हाइडल चैनल (बाईं ओर) को भरने के लिए और दूसरा जम्मू-कश्मीर में रावी नहर (दाईं ओर)को भरने के लिए 2 हेड रेगुलेटर के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना से 37173 हेक्टेयर (जम्मू और कश्मीर में 32173 हेक्टेयर + पंजाब में 5000 हेक्टेयर) का सिंचाई लाभ और 206 मेगावाट (2x99 मेगावाट + 8 मेगावाट) की बिजली क्षमता का लाभ है।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख/निगरानी करने के लिए दिसंबर 2018 में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने 07-08 जून 2022 के दौरान परियोजना का दौरा किया। समिति ने शाहपुरकंडी बांध के साथ परियोजना के अन्य निर्माण स्थलों जैसे पावर हाउस I और II के कार्य, कश्मीर नहर के लिए प्रस्तावित साइफन का स्थान, लखनपुर-बसोहली में नूरा नाला पर पुल के पियर्स की नींव के लिए चल रहा मिट्टी का काम और बैरल के निर्माण सहित सुखराल खड्ड और आसपास के नाले पर प्रस्तावित

एक्वाडक्ट का दौरा किया।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 09.06.2022 को निगरानी समिति की एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें परियोजना प्राधिकरण (एसकेडीपी), जलशक्ति विभाग (जम्मू और कश्मीर सरकार), जल संसाधन विभाग (पंजाब सरकार), पंजाब राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (पीएसपीडीसीएल) के प्रतिनिधि और अनुबंध एजेंसियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. ने निर्देश दिया कि 2023 में मानसून के मौसम के दौरान पहली बार जलाशय अवरोधन के लिए आवश्यक परियोजना के सभी कार्यो को पूरा किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने शेष कार्यों की व्यक्तिगत गतिविधियों की सूक्ष्म योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसके बाद उपरोक्त योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए एमआईएस प्रणाली विकसित की जा सकती है। नियोजित गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए √विशिष्ट मदों के लिए धन का समय पर प्रवाह महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य बांध की भौतिक प्रगति

घटक	विवरण	कुल मात्रा	31.10.2018 तक निष्पादित किया गया	बहाली के बाद 01.11.2018 से 31.05.2022	कुल प्रगति	%
मुख्य बांध-सिविल वर्क्स	उत्खनन	1840000 घन मी.	1199232	482676	1720148	93.48%
	कंक्रीट	1105000 घन मी.	74363	704536	778899	70.48%
मुख्य बांध का हाइड्रो मैकेनिकल कार्य	संरचना	3155 मीट्रिक टन	0	3130	3130	98%
	निर्माण	3155 मीट्रिक टन	0	1623	1623	51.44%

वित्तीय प्रगति

विवरण	सिंचाई घटक (28.61%)			पीएसपीसीएल द्वारा राज्य की हिस्सेदारी में बिजली घटक (71.39%)	कुल राज्य का हिस्सा	कुल
	केंद्रीय हिस्सेदारी (भारत सरकार) (86%)	राज्य की हिस्सेदारी (पंजाब राज्य) (14%)	कुल			
शेष लागत करोड़ में	485.35	79.28	564.63	1408.90	1488.18	1973.53
अब तक जारी की गई धनराशि (31.05.2022 तक)	256.59	66.53	323.12	570.66	647.19	903.78

पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यों की समीक्षा के लिए राजमुंदरी का दौरा

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुउद्देशीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता पाने के लिए काठी-मृदा बांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंगों, नेविगेशन सुरंग व चैनल और दो मुख्य नहरों के साथ-साथ मृदा-शैल बांध (ईसीआरएफ) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 960 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, 540 गांवों को पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में अपवर्तित करने की भी परिकल्पना की गई है।

जून, 2017 में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो पोलावरम सिंचाई परियोजना के पूरा होने तक कार्यान्वयन का अवलोकन करेगी और सभी कोणों जैसे कि निर्माण, गुणवत्ता, सुरक्षा की समग्र योजना, लागत पहलू से परियोजना कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का 7वां दौरा 18.06.2022 से 19.06.2022 तक श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे स्पिलवे भाग, स्पिलवे की उपागम वाहिका
(Approach Channel), प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह कॉफर बांध, बाईं मुख्य नहर और दाईं मुख्य नहर के साथ-साथ इसकी संयोजकता (कनेक्टिविटी) का विशेषज्ञ समिति द्वारा दौरा किया गया।

इसके अलावा, 19.06.2022 को एक समापन बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार); पीआईपी और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान कार्यों की प्रगति, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, अदालती मामलों, पोलावरम परियोजना से संबंधित अंतर-

LINE DIAGRAM OF INDIRA SAGAR POLAVARAM PROJECT

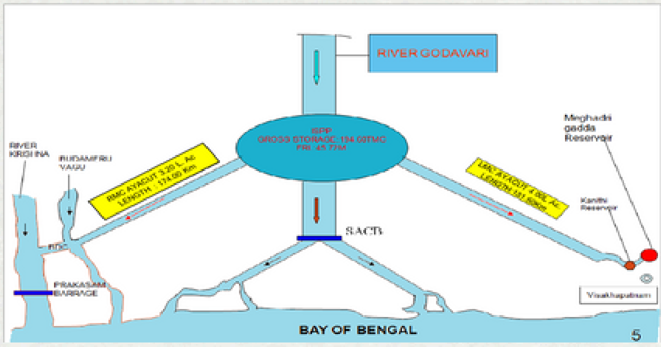

राज्यीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद, समिति के अध्यक्ष ने जोर दिया कि कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए अनुप्रवाह कॉफर बांध के कार्यों को सुरक्षित स्तर तक पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

विशेषज्ञों की बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग, आंध्र-प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई परियोजना की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	विवरण	31.05.2022 तक भौतिक प्रगति %
1	हेडवर्क्स	76.66%
2	बाईं मुख्य नहर	71.69%
3	दाईं मुख्य नहर	92.64%
4	कुल परियोजना	78.52%
5	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापना	22.09%
	समग्र परियोजना (ईएल+45.72मी. तक आर एंड आर कार्यों सहित)	46.25%

वित्तीय प्रगति	
स्थापना के बाद से किया गया कुल व्यय	20078.3 करोड़ रुपये एनपी के तहत 15347.59 करोड़ रुपये
भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि	जुलाई 2022 तक 13152.76 करोड़ रुपये

जलाशय निगरानी

के.ज.आ. के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) में जून,2022 में नीचे नामित तीन और जलाशयों को जोड़ा गया है।

जलाशय का नाम	राज्य	सजीव भंडारण क्षमता
जयसमंद	राजस्थान	0.296 बीसीएम
अटल सागर (मड़ीखेड़ा)	मध्य प्रदेश	0.835 बीसीएम
डोनकारयी	आंध्र प्रदेश	0.376 बीसीएम
	कुल =	1.507 बीसीएम

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है। जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 30.06.2022 के अनुसार, इन

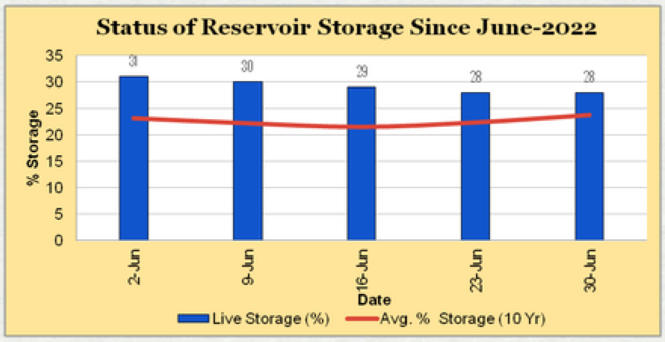

जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 48.951 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 28 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 57.139 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 41.427 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 30.06.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 86 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 118 प्रतिशत है।

जल संसाधन परियोजनाओं का परियोजना उपरांत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)

पर्यावरण प्रबंधन संगठन (ईएमओ) ने पूरे भारत में फैले विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के लिए परियोजना उपरांत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन शुरू किया है।

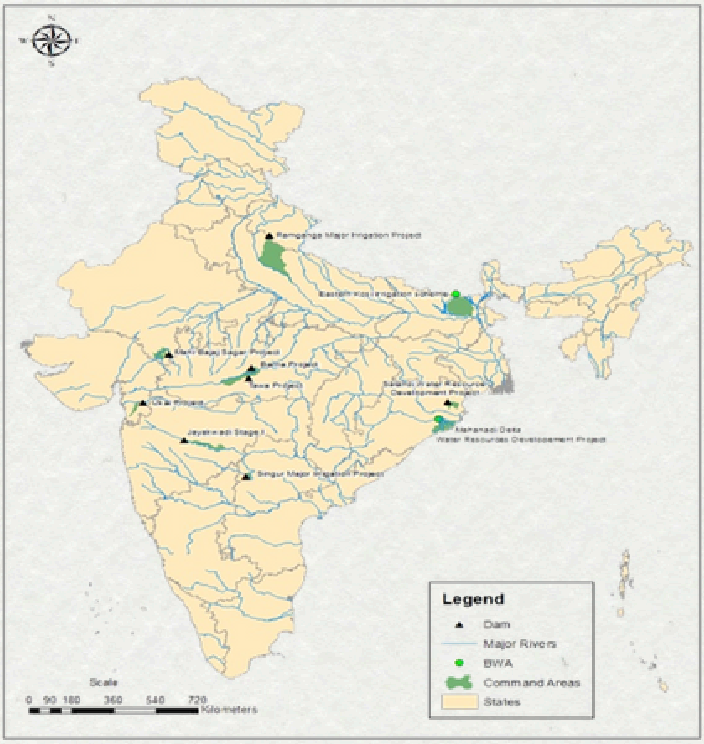

क्योंकि ईआईए वर्ष 1994 में अनिवार्य हो गया है अतः जिन परियोजना के लिए पूर्व-परियोजना ईआईए अध्ययन नहीं हुए थे यह उन परियोजनाओं के लिए किए गए हैं। अध्ययनों में पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं पर जल संसाधन परियोजना के प्रभाव का आकलन किया गया है और अब तक 10 अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं। जिन परियोजनाओं के लिए अध्ययन पूरा किया गया है उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

#	परियोजना का नाम	राज्य	सकल कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	अध्ययन का वर्ष
1	जयकवाड़ी चरण- I	महाराष्ट्र	2,03,958	2005
2	बरना परियोजना	मध्य प्रदेश	72,000	2005
3	सालंदी जल संसाधन विकास परियोजना	ओडिशा	57,160	2010
4	रामगंगा वृहत सिंचाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	13,72,000	2012
5	सिंगूर वृहत सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	16,000	2012
6	माही बजाज सागर परियोजना	राजस्थान	1,35,000	2013
7	महानदी डेल्टा जल संसाधन विकास परियोजना	ओडिशा	8,49,000	2013
8	उकाई परियोजना	गुजरात मध्य प्रदेश	3,79,595	2022
9	पूर्वी कोसी नहर परियोजना	बिहार	9,28,876	2022
10	तवा परियोजना	मध्य प्रदेश	3,39,526	2022

तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए फरक्का बैराज परियोजना (टीसी-एफबीपी) की निविदा समिति की बैठक

टीएसी-एफबीपी की 117वीं बैठक 21-23 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी जिसमें फरक्का बैराज के ऊपरी बाएं किनारे पर कटाव का मुद्दा उठाया गया था। टीएसी-एफबीपी के निर्देशानुसार, 26.01.2022 को एफबीपी द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण डेटा के प्राप्त होने पर 10.02.2022 को बीसीडी (ई एंड एनई) द्वारा बैराज (चे. 1500- चे. 3500) के प्रतिप्रवाह में बीरनगर क्षेत्र में कटाव रोधी/ किनारे की सुरक्षा कार्यों का आलेख जारी किया गया। कार्य को लगभग 500 मीटर की छह खण्डों में विभाजित किया गया था। खण्ड 1 हेतु किए जाने वाले कार्यों के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति (राशि> 10 करोड़) 30.03.2022 को प्राप्त हुई थी।

एफबीपी (टीसी-एफबीपी) की निविदा समिति की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 09.05.2022 और 13.05.2022 को सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यह बैठक गंगा नदी के प्रतिप्रवाह में बाएं तट पर

बीरनगर क्षेत्र के पास 1530.00 मी चेनेज से 2000.00 मीटर चेनेज (कुल कार्य लंबाई-558.0 मीटर)- खण्ड-1 के "तट सुरक्षा कार्य" निर्माण के लिए तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की गई थी। इसके बाद, वित्तीय बोली का मूल्यांकन करने के लिए, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) में 07.06.2022 को एक बैठक आयोजित की गई।

कोल बांध, हिमाचल प्रदेश का सुरक्षा निरीक्षण

श्री अनिल जैन और श्री राहुल कुमार सिंह, निदेशक के साथ श्री राकेश गौतम और सुश्री शची जैन, उप-निदेशक, डी एंड आर विंग की एक निरीक्षण टीम ने एनटीपीसी द्वारा केंद्रीय जल आयोग को किए गए अनुरोध के जवाब में 27-28 जून, 2022 के दौरान कोल बांध परियोजना का दौरा किया।

प्रस्तावित तुर्गा पंपित संचायक परियोजना (1000 मेगावाट) साइट का दौरा

सीएमडीडी (ईएंडएनई) और तटबंध (ईएंडएनई) के.ज.आ. के अधिकारियों ने 31 मई से 2 जून 2022 तक प्रस्तावित तुर्गा पंपित संचायक परियोजना (1000 मेगावाट) साइट का दौरा किया। तुर्गा पंपित संचायक परियोजना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में तुर्ग नाला पर स्थित है। यह परियोजना क्लोज लूप टाइप पंपित संचायक योजना है। परियोजना वर्तमान में अभी निविदा चरण में है। सीईए, के.ज.आ. और विदेशी सलाहकार, ईपीडीसी (जे-पावर)-जापान के साथ मिलकर स्थानीय सलाहकार, वैपकोस को शामिल करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

यात्रा के दौरान ऊपरी बांध और निचले बांध को अंतिम रूप देने के

संबंध में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी दौरे के दौरान के.ज.आ. अधिकारियों ने पहले से निर्मित पुरुलिया पंपित संचायक योजना (900मेगावाट) का भी दौरा किया।

परियोजना अधिकारियों द्वारा कलसा और बंडूरा नाला अपवर्तन योजनाओं के लिए संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पर बैठक

निदेशक, जल विज्ञान (द.) निदेशालय ने के.ज.आ., नई दिल्ली में 23.06.2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया, जिसमें मु. अ. (पीएओ), के.ज.आ. की अध्यक्षता में कर्नाटक की कलसा और बंडूरा नाला अपवर्तन योजनाओं की संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

कलसा नाला अपवर्तन योजना में उत्थापक योजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से 1.72 टीएमसी पानी को मलप्रभा नदी में मोड़ने के लिए कलसा नाला पर 10.5 मीटर ऊंचा, हलतरा नाला पर 9.30 मीटर ऊंचा अपवर्तन बांध और सुरला नाला पर 6 रोध बांध (Check Dam) के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

बंडूरा नाला अपवर्तन योजना में उत्थापक की एक श्रृंखला के माध्यम से मलप्रभा नदी में 2.18 टीएमसी पानी मोड़ने के लिए 10.6 मीटर ऊंचाई के बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अपवर्तन बांध के अग्रतट पर एक उत्थापक कुएं सह पंप हाउस प्रस्तावित है ताकि पानी उठाया जा सके और मलप्रभा नदी की ओर मोड़ा जा सके।

चर्चा के दौरान, परियोजना अधिकारियों ने पुष्टि की कि स्थानीय अधिकारियों से पर्यावरण, वन, जनजातीय मामलों संबंधी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 54 के तहत मसौदा नियम तैयार करने के लिए गठित उपसमिति की दूसरी बैठक

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 54 के तहत मसौदा नियम तैयार करने के लिए गठित उप समिति की दूसरी बैठक 28.06.2022 को श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता (डीएसओ), के.ज.आ. और सदस्य, नीति और अनुसंधान, एनडीएसए की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी। मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए समिति द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम की धारा 54 में विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई।

"सात नदी बेसिन में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" कार्य के लिए टीएआरसी की 10वीं बैठक

"सात नदी बेसिन में अवसादन दर और अवसादन परिवहन के अनुमान के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" कार्य के लिए टीएआरसी की 10वीं बैठक 22.06.2022 को मुख्य अभियंता(एचएसओ), के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस अध्ययन का उद्देश्य बेसिन जलग्रहण क्षेत्रों से अवसादन उत्पादन, चैनलों/नदियों के माध्यम से इसके परिवहन तंत्र और बाढ़ जल प्रतिधारण संरचनाओं जैसे जलाशयों द्वारा इसके प्रतिधारण/निक्षेपण के साथ-साथ नदी पहुंच के रूपात्मक व्यवहार की मॉडलिंग के लिए एक पद्धति स्थापित करना है। बैठक में, सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

Water Sector-News

- सिंधु जल संधि के पूर्णत: पालन को लेकर प्रतिबद्ध है भारत (हरिभूमि, 02.06.2022)
- भारत, चीन और नेपाल के जल क्षेत्रों में 40 प्रतिशत की वृद्धि (द पायनीर, 06.06.2022)
- खतरनाक : देश की अधिकांश नदियां जहरीले धातु प्रदूषण से ग्रस्त (हिन्दुस्तान, 07.06.2022)
- डाल्फिन पर अध्ययन बताएगा कितनी साफ हुई गंगा (अमर उजाला, 11.06.2022)
- बीसलपुर बांध में प्रतिदिन ढाई सेंटीमीटर पानी हो रहा कम (राजस्थान पत्रिका, 15.06.2022)
- बूढ़े बांधों के लिए संजीवनी बनेगा ''डैम सेफ्टी एक्ट'' (जागरण वेब वर्जन, 16.06.2022)
- नर्मदा में कहां-कितना वाटर लेवल है, बाढ कब आ सकती है... ऐसे ही सवालों का जवाब देगा टेलीमीटरिंग सिस्टम, नदी किनारे 75 लोकेशन पर लगाए (दैनिक भास्कर, 20.06.2022)
- 'पल्ला बाढ़ क्षेत्र परियोजना- का परीक्षण रहा सफल - जलस्तर दो मीटर तक बढ़ा (जनसत्ता, 24.06.2022)
- लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली यमुना नदी खुद है प्यासी (अमर उजाला 28.06.2022)
- भावी पीढ़ी के लिए पानी बचाना जरूरी: खट्टर (राष्ट्रीय सहारा, 29.06.2022)

देश में बाढ़ की स्थिति - जून 2022

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में 01.05.2022 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 01 मई से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान, 1410 बाढ़ पूर्वानुमान (1341 स्तर और 69 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 1356 (1294 स्तर और 64 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 96.17% की प्रतिशत सटीकता के साथ सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जून माह तक 49 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 84 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए थे।

01.05.2022 से 30.06.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ़ की स्थिति:

दो बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई:

Sl. No.	State	District	River	Station	Period	
					From	To
1.	Assam	Nagaon	Kopili	Kampur	15/05/2022 1600 hrs	21/05/2022 2000hrs
					16/06/2022 1600 hrs	22/06/2022 1600hrs
2.	Bihar	Kishanganj	Mahananda	Taibpur	29/06/2022 0400 hrs	29/06/2022 0800hrs

चार बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थिति:

असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में 36 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 12 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ की सामान्य स्थिति से ऊपर की स्थिति देखी गई।

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

कर्नाटक और तमिलनाडु में 4 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त हुआ।

जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज (राजस्थान) का दौरा

श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता (बांध सुरक्षा संगठन) के नेतृत्व में के.ज.आ. अधिकारियों की एक टीम ने 21.06.2022 से 22.06.2022 तक जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज का निरीक्षण किया, ताकि मौजूदा रस्सा ढ़ोल उच्चालक (Rope drum hoist) को द्रवीय उच्चालक के साथ बदलने की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके और साथ ही ड्रिप चरण- II के तहत पुनर्वास की आवश्यकता वाली अन्य वस्तुओं का भी आकलन किया जा सके। दौरे के बाद 22.06.2022 को आईएमटीआई, कोटा परिसर में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक और चर्चा हुई।

30.06.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-2023	व्यय	व्यय(%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.000	24.642	13.32%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	8.000	1.289	16.11%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	1.873	8.07%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	0.132	1.18%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	33.700	0.603	1.79%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	0.550	0.55%

डेटा कॉर्नर- भूजल में विषाक्त पदार्थ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लवणता (3000 माइक्रो म्होस/ सेमी से ऊपर) (ईसी:विद्युत चालकता))	फ्लोराइड (1.5 मिलीग्राम से ऊपर	नाइट्रेट (4 मिलीग्राम /। से ऊपर)	आर्सेनिक (0.01 मिलीग्राम /। से ऊपर)	आयरन (1 मिलीग्राम से ऊपर	लीड (0.01 से ऊपर मिलीग्राम /।)	कैडमियम (0.003 से ऊपर मिलीग्राम /।)	क्रोमियम (0.05 से ऊपर मिलीग्राम /।)
1	आंध्र प्रदेश	12	12	13	3	7			
2	तेलंगाना	8	10	10	1	8	2	1	1
3	असम		9		19	18			
4	अरुणाचल प्रदेश					4			
5	बिहार		13	10	22	19			
6	छत्तीसगढ	1	19	12	1	17	1	1	1
7	दिल्ली	7	7	8	2		3	1	4
8	गोवा					2			
9	गुजरात	21	22	24	12	10			
10	हरियाणा	18	21	21	15	17	17	7	1
11	हिमाचल प्रदेश			6	1				
12	जम्मूऔरकश्मीर		2	6	3	9	3	1	
13	झारखंड		12	11	2	6	1		
14	कर्नाटक	29	30	29	2	22			
15	केरल	4	5	11		14	2		1
16	मध्य प्रदेश	18	43	51	8	41	16		
17	महाराष्ट्र	25	17	30		20	19		
18	मणिपुर		1		2	4			
19	मेघालय		1			6			
20	नागालैंड		1			1			
21	ओडिशा	17	26	28	1	30			1
22	पंजाब	10	19	21	10	9	6	8	10
23	राजस्थान	30	33	33	1	33	3		
24	तमिलनाडु	27	25	29	9	2	3	1	5
25	त्रिपुरा					4			
26	उत्तर प्रदेश	13	34	59	28	15	10	2	3
27	उत्तराखंड			4		5			
28	पश्चिम बंगाल	6	8	5	9	16	6	2	2
29	अंडमान और निकोबार	1				2			
30	दमन और दीव	1		1	1				
31	पुदुचेरी			1					
	कुल	18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 248 जिलों के हिस्से	23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 370 जिलों के हिस्से	23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 423 जिलों के हिस्से	21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 152 जिलों के हिस्से	27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 341जिलों के हिस्से	14 राज्यों के 92 जिलों के कुछ हिस्सों में पी.बी	9 राज्यों के 24 जिलों के कुछ हिस्सों में सी.डी	10 राज्यों के 29 जिलों के कुछ हिस्सों में सीआर

जून-2022 के दौरान एनएचपी की प्रगति/नोट

क्र.सं.	वस्तु	वर्तमान स्थिति
1.	नए ध्वनिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर (एडीसीपी) की खरीद	29 में से 28 एडीसीपी की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। 50 एडीसीपी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए खरीद अनुबंध 23-05-2022 को मैसर्स ए एंड एस क्रिएशन को दिया गया है।
2.	वेग रडार	19 वेलोसिटी रडार सिस्टम की खरीद का अनुबंध मैसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट प्रा. लिमिटेड को दिया गया।
3.	आउट बोर्ड (ओबी) इंजन	45 (ओबी) इंजन की "आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और" कमीशनिंग के लिए पुनः निविदा प्रक्रियाधीन है।
4.	कुल स्टेशन	कुल 33 स्टेशनों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।
5.	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग कर जलाशय अवसादन अध्ययन	चरण- I (32 जलाशयों) के लिए कार्य जनवरी, 2021 में प्रदान किया गया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए भारत में अतिरिक्त 87 जलाशयों के जलाशय अवसादन अध्ययन के लिए गैर- परामर्शी कार्य प्रक्रियाधीन है
6.	गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली	11.40 करोड़ रूपये-अनुबंध किया गया (11 अगस्त, 2021 से काम शुरू हुआ)। स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और स्वीकार की गई। कार्य I - (ए) वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले और वैकल्पिक हाइड्रो-मेट डेटा का सत्यापन (बी) मॉडल, डैशबोर्ड और अन्य सॉफ्टवेयर घटकों के लाइसेंस प्रस्तुत किए गए हैं और समीक्षाधीन हैं। कार्य II-अनुप्रस्थ काट, उपग्रह से प्राप्त चित्र और डिजिटल उद्विक्षेप मॉडल आंकड़ा तैयार करना। कार्य III-ऐतिहासिक प्रवाहों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रगति पर है। 0.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
7.	विस्तारित जलविज्ञान पूर्वानुमान (ईएचपी) का परामर्शी कार्य	25.17 करोड़ रूपये-अनुबंध किया गया (जुलाई,2020 से काम शुरू हुआ)। पहली प्रदेय (स्थापना रिपोर्ट) पूरी हुई। चरण I (स्थापना रिपोर्ट) और चरण- II (निवेश आंकड़ा विकास रिपोर्ट की प्रस्तुति और अनुमोदन) पूरा हो चुका हैं। चरण III और IV (निम्न प्रवाह मौसम, उच्च प्रवाह मौसम और परीक्षण के लिए मॉडल विकास) की समीक्षा की जा रही है। चरण VI (डैशबोर्ड विकास) भी चल रहा है। 3.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
8.	बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन	70 लाख रूपये-अनुबंध किया गया (1अप्रैल,2021से काम शुरू हुआ)। परामर्शदात्री सेवाएं मार्च, 2021 में प्रदान की गई थी। प्रदेय 1: स्थापना रिपोर्ट, प्रदेय 2: डेटा संकलन रिपोर्ट को प्रस्तुत और स्वीकार कर लिया गया है। प्रदेय 3: नदी के अनुप्रस्थ काट का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेय 4 और प्रदेय 5: मसौदा और अंतिम रिपोर्ट प्रगति पर है। 0.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
9.	जल गुणवत्ता उपकरणों की आपूर्ति (जीसीएमएस और आईसीपी-एमएस)	वितरण कर दिया गया है और स्थापना, परीक्षण और सभी उपकरणों की कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। इस के लिए नई लैब हेतु एक दूसरी निविदा प्रक्रियाधीन है।
10.	नर्मदा बेसिन में वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली	7.07 करोड़ रूपये का अनुबंध किया गया (सितंबर,2020 से काम शुरू हुआ)। सभी 48 साइटों को पूरा (स्थापित) कर लिया गया है और अंशांकन और जीटीएस संयोजन प्रक्रियाधीन है। 1.43 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
11.	अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली	8.12 करोड़ रूपये का अनुबंध किया गया(6 नवंबर,2020 से काम शुरू हुआ)। सामान की डिलीवरी पूरी हो गई है। 32 साइटों पर टेलीमेट्री उपकरण लगाने का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।
12.	गंगा बेसिन में एकीकृत जलाशय संचालन	6.42 करोड़ रूपये का अनुबंध किया गया (1 अक्टूबर, 2021 से काम शुरू)। गतिविधि 1: आरंभिक रिपोर्ट सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत की गई है और समिति द्वारा स्वीकार की गई है। D2: डेटा संग्रह और संकलन रिपोर्ट सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई है और समीक्षाधीन है। 0.54 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
13.	सात नदी बेसिन में अवसादन दर और अवसादन परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग	11.11 करोड़ रुपये अनुबंध किया गया (16 नवंबर 2020 से काम शुरू हुआ)। पहली प्रदेय(स्थापना रिपोर्ट) और दूसरी प्रदेय(डेटा संग्रह और संकलन रिपोर्ट) प्रस्तुत और स्वीकृत। प्रदेय 3: i) अवसादन मॉडलिंग और अध्ययन ii) की मसौदा रिपोर्ट दो नदी बेसिन यानी बराक और रामगंगा बेसिन का रूपात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और समीक्षाधीन है। 3.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

गैलरी/आजादी का अमृत महोत्सव

21 और 22 जुलाई, 2022 को कावेरी बेसिन में ऊपरी कावेरी उपमंडल द्वारा बनाए गए 4 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थल और 3 दूरमापी स्थल का दौरा

श्री वरिद गुप्ता, सहायक निदेशक, के.ज.आ.(तकनीकी अधिकारी) ने श्री संजय कुमार जैन, जेएस, डी/ओ पब्लिक एंटरप्राइजेज (सेंट्रल नोडल ऑफिसर) के साथ जल शक्ति अभियान 2022 के लिए बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों का दौरा किया

श्री रविरंजन, निदेशक, के.ज.आ.,जम्मू के साथ श्री टी.आई. चिस्ती, उप-निदेशक, के.ज.आ., श्रीनगर और श्री दीपक कुमार, सहायक निदेशक-2, के.ज.आ., जम्मू ने 27-28 जून,2022 के दौरान कश्मीर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एचकेकेपी के तहत केंद्रीय वित्तपोषित योजना की निगरानी की।

भारत में डेनमार्क के राजदूत श्री एच.ई.फ्रेडी स्वान का के.ज.आ.,वाराणसी दौरा। उन्होंने स्वच्छ नदी जल के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला के संबंध में चर्चा की।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 17-20 जून, 2022 के दौरान पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के कार्यान्वयन का अवलोकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का 7वां दौरा।

प्रबोधन मध्य संगठन, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर द्वारा "आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष में "आधुनिक सिंचाई पद्धतियों" विषय पर जन जागरूकता अभियान दिनांक 22.06.2022 आयोजित किया गया।

इतिहास- गुड़गांव नहर परियोजना

हरियाणा का गुड़गांव (अब गुरुग्राम) जिला शुष्क क्षेत्र में आता है जहां सफल कृषि के लिए कृत्रिम सिंचाई आवश्यक है। इसका सकल क्षेत्र 6.09 लाख हेक्टेयर (15.04 लाख एकड़) है, जिसमें से कुल बोया क्षेत्र 4.65 लाख हेक्टेयर (11.49 लाख एकड़) है। नहर निर्माण से पूर्व उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार सभी स्रोतों से सिंचित क्षेत्र बोये गये क्षेत्रफल का मात्र 26.9 प्रतिशत है। औसत वार्षिक वर्षा 63.5 सेमी (25 इंच) से कम है।

परियोजना

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गुड़गांव नहर परियोजना पानी के अंतर-बेसिन हस्तांतरण में एक साहसिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है। इस मामले में रावी-व्यास का पानी सतलुज और घग्गर नदियों के घाटियों से होते हुए यमुना बेसिन में स्थानांतरित हो गया।

गुड़गांव नहर परियोजना अपने अंतिम आकार में हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में 144867 हेक्टेयर के सकल क्षेत्र और 130589 हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र को लाभान्वित करती है। इसमें दिल्ली-हरियाणा सीमा के करीब आगरा नहर और यमुना के बीच 33215 हेक्टेयर का खेती योग्य क्षेत्र शामिल है, और शेष क्षेत्र आगरा नहर के पश्चिमी कमान और अरावली पहाड़ियों की मुख्य श्रृंखला के बीच है।

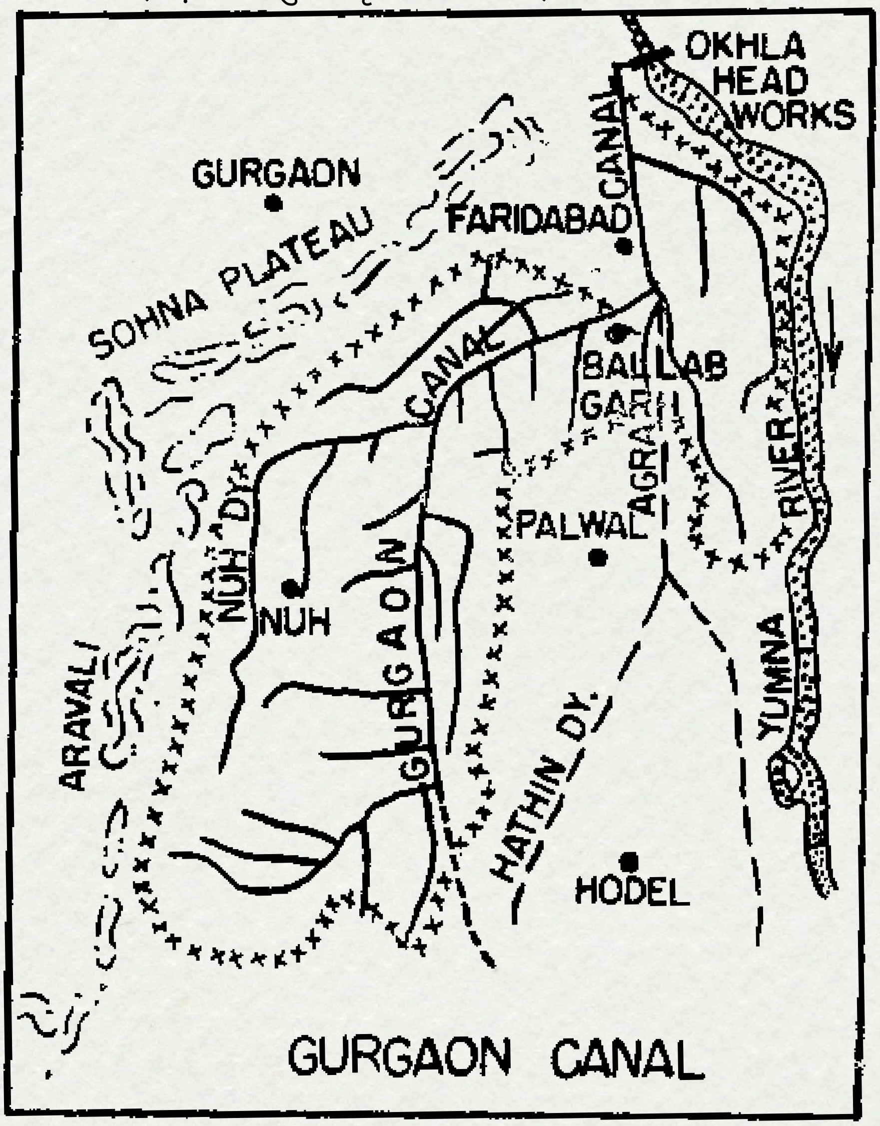

57754 हेक्टेयर के कृषि योग्य क्षेत्र 0.61 मीटर से 4.36 मीटर (2 फीट से 14.30 फीट) तक को निचली लिफ्टों के माध्यम से सिंचाई प्रदान की जा रही है। गुड़गांव नहर परियोजना में 77 प्रतिशत सिंचाई की तीव्रता की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है 100552 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई।

राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में, इसने 66773 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया।

यह परियोजना खरीफ में 0.8 और रबी में 0.5 की सिंचाई क्षमता प्रदान करती है। यह गणना की गई थी कि वितरण क्षेत्र में हरियाणा क्षेत्र के लिए 35.96 घन मीटर प्रति सेकंड की पूर्ण आपूर्ति निर्वहन की आवश्यकता थी, और जिसके लिए रावी-ब्यास परिसर से प्रति 265 दिनों में 542.73 मिलियन घन मीटर पानी, 10 प्रतिशत की परिवहन हानि के साथ, और यमुना नदी से 100 दिनों के लिए 344.14 मिलियन घन मीटर पानी की आवश्यकता की गणना की गई थी। हरियाणा क्षेत्र के लिए नहर के शीर्ष पर 45.31 घन मीटर प्रति सेकंड और राजस्थान के लिए खरीफ आपूर्ति के लिए 14.61 घन मीटर प्रति सेकंड का पूर्ण आपूर्ति निर्वहन निर्धारित किया गया था। शीर्ष पर कुल निर्वहन 59.47 घन प्रति सेकंड था।

परियोजना लागत का अनुमान 7.89 करोड़ रुपये लगाया गया था, जिसमें से 5.27 करोड़ रुपये हरियाणा द्वारा, 2.12 करोड़ रुपये राजस्थान द्वारा और 50 लाख रुपये बदरपुर थर्मल प्लांट द्वारा योगदान दिया जाना था, जो दिल्ली क्षेत्र में बदरपुर के पास बन रहा था। हरियाणा में परियोजना क्षेत्रों से अनुमानित राजस्व परियोजना को वित्तीय रूप से उत्पादक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, भले ही लाभ-लागत अनुपात तीन था। ऐसा ऊपर की भूमि की सिंचाई के लिए कार्यरत पंपों में अत्यधिक व्यय के कारण था। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 494.21 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे दस वर्षों में समान किश्तों में वसूल किया जाना था।

परियोजना के तकनीकी पहलुओं को ओखला बांध में कुछ संशोधन करने, आगरा नहर के शीर्ष नियामक की पुन: मॉडलिंग और खुद नहर की पुन: मॉडलिंग के लिए प्रदान किया गया। इसमें 151.50 घन मीटर प्रति सेकंड निर्वहन के लिए अस्तरित खंड है जिससे आगरा नहर में, 92.3 घन मीटर प्रति सेकंड और गुड़गांव नहर में 59.47 घन मीटर प्रति सेकंड निर्वहन किया जाएगा।

आगरा नहर के नौवें किमी पर बदरपुर थर्मल प्लांट बन रहा था, इसके लिए ठंडे पानी की आवश्यकता थी जिसे गुड़गांव नहर के लिए की जाने वाली आपूर्ति से लिया जाना और वापिस उसे नहर में छोड़ना था। आगरा नहर का इस बिंदु तक पुनर्निमाण होने वाला था। गुड़गांव नहर को पोषित करने के लिए आगरा नहर के दाहिने किनारे पर 8.05 किमी से 24.14 किमी तक गुड़गांव के

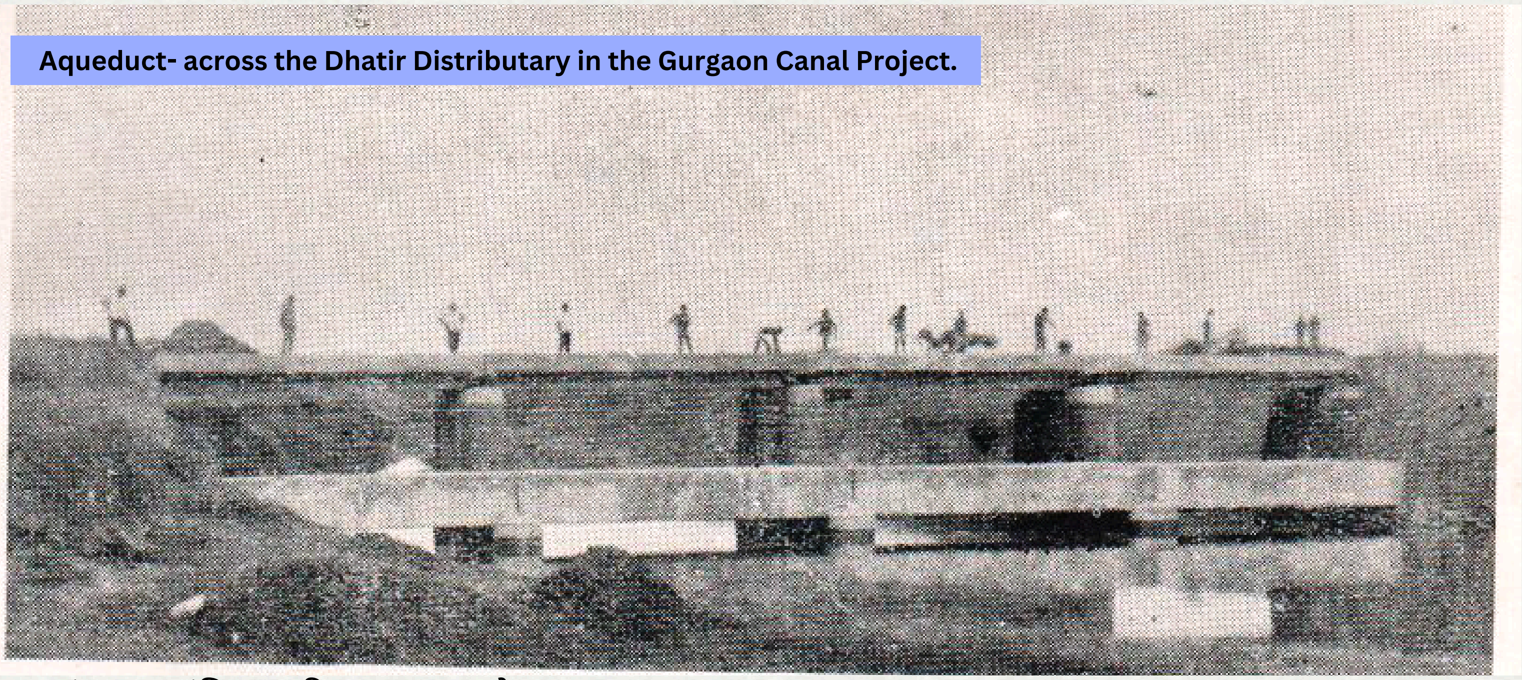

Aqueduct- across the Dhatir Distributary in the Gurgaon Canal Project.

समानांतर एक पंक्तिबद्ध फीडर बनाया जाने वाला था। ओखला वियर और आगरा नहर के प्रमुख नियामक के पुनर्निर्माण को छोड़कर परियोजना में 11.11 मिलियन घन मीटर मिट्टी का काम, 25.52 लाख वर्गमीटर नहर अस्तरण और 259 चिनाई के बड़े और छोटे काम शामिल हैं।

सिंचाई

अंतरराज्यीय निर्णय के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश 1969 तक गुड़गांव नहर के लिए 24.14 किमी तक आगरा नहर में 16.98 घन मीटर प्रति सेकंड निर्वहन करने पर सहमत हो गया था। गुड़गांव नहर के लिए एक अस्थायी नियामक बनाया गया था। जनवरी,1966 में हुई एक बाद की बैठक में, आगरा नहर के बाईं ओर दो वितरिकाओं के लिए अस्थायी पोषण व्यवस्था करने पर सहमति हुई। केंद्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा आयोजित कई बैठकों में, गुड़गांव नहर के लिए यमुना में छोड़े गए ब्यास के पानी के हेतु ओखला में हरियाणा के हिस्से को तय करने के लिए एक तदर्थ निर्णय लिया गया है। कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद इसे लागू किया गया। गुड़गांव नहर में हरियाणा की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए एक तर्कसंगत सूत्र विकसित करने के लिए केंद्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा समस्या का और अध्ययन किया गया था।

गुड़गांव नहर को 17 जून,1967 को पूर्व परीक्षण के लिए खोला गया था। इससे केवल 148.51 हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी। इसे अप्रैल 1968 में नियमित सेवा के लिए खोला गया था। इसने आगरा नहर के बाईं ओर स्थित दो वितरिकाओं सहित 9.34 घन मीटर प्रति सेकंड का अधिकतम निर्वहन किया और जुलाई की शुरुआत में बंद कर दिया गया, जब आगरा नहर को यमुना नदी में बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया था। 252.19 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गई थी।

सिंचाई विकास के कार्यक्रम में प्रथम वर्ष (1967-68) में दस प्रतिशत सिंचाई, दूसरे वर्ष में 25 प्रतिशत और पाँचवें वर्ष में पूर्ण विकास होने तक प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। हरियाणा के हिस्से को तय करने में अंतर-राज्यीय कठिनाइयों के कारण नहर को 1966-67 में नियमित सिंचाई के लिए नहीं खोला जा सका। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, 1968 से खरीफ सिंचाई शुरू हुई और मार्च 1969 तक पहले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 9552 हेक्टेयर के मुकाबले लगभग 9068 हेक्टेयर तक की उपलब्धि प्राप्त की गई थी।

शुरूआती मौसम में कठिनाईयों का अनुभव हुआ, क्योंकि किसानों ने जल स्रोतों की खुदाई के लिए अपेक्षित उत्साह नहीं दिखाया। हालाँकि, जिन किसानों ने गन्ना लगाया था, उन्होंने अपनी फसल की सिंचाई के लिए प्रयास किए। जिले में सिविल अधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से रबी मौसम में पानी के पूर्ण उपयोग के लिए सभी जल स्रोतों की खुदाई करने का प्रयास किया गया।

गुड़गांव नहर के लिए 886.87 मिलियन घन मीटर पानी की परियोजना की जरूरत के खिलाफ, 1968 के खरीफ मौसम में 85.11 मिलियन घन मीटर पानी का उपयोग किया गया है।

(स्रोत: भागीरथ जुलाई 1969)

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in